[2020] 12 एस सी आर 1000

चमन लाल

वी.

हिमाचल प्रदेश का राज्य

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 1229)

3 दिसंबर, 2020

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस। 378 , 313 - बरी किए जाने के खिलाफ अपील-अपीलार्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज-आरोपी ने आरोप लगाया

कि जब अभियोजक बकरियों को चराने के लिए जंगल जाता था और

पशु, अपीलार्थी भी वहाँ आते थे और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाते थे-निचली अदालत ने अपीलार्थी को अपराधों के लिए बरी कर दिया। 376 , 506 , आई. पी. सी. ने एफ़. आई. आर. में देरी के आधार पर और यह कि अभियोजक अस्वस्थ दिमाग का नहीं था जैसा कि आरोप लगाया गया था-उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने को उलट दिया गया-आयोजित किया गयाः यह साबित हो गया है कि अभियोजक था

मानसिक रूप से मंद और वह यौन हमले के अच्छे और बुरे पहलू को समझने की स्थिति में नहीं थी-अपीलार्थी ने लिया

अभियोजक की मानसिक बीमारी और निम्न आई. क्यू. का नुकसान-वह उसके द्वारा पैदा किए गए बच्चे का जैविक पिता है। 313 सी. आर. पी. सी. के बयान में कहा गया है कि अपीलार्थी का मामला पूरी तरह से इनकार करने का था-यह उसका मामला कभी नहीं था कि यह सहमति का मामला था-इस प्रकार, वह एक झूठे बचाव के साथ आया-रिकॉर्ड पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अपराध के लिए सही दोषी ठहराया। 376 और 506, आई. पी. सी. पहला अपीलीय न्यायालय होने के नाते, उच्च न्यायालय था

अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करने में न्यायसंगत और

विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क-विवादित निर्णय नहीं

दंड संहिता, 1860-एस. एस. में हस्तक्षेप किया। 375 , 376 , 506 .

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय उचित है और इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलटने और धारा 376 के तहत अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है और

506 आईपीसी. पहला अपीलीय न्यायालय होने के नाते, उच्च न्यायालय को अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करने में न्यायसंगत ठहराया गया था और

विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मानदंडों के भीतर कार्य किया है -

1000 चमन लाल बनाम। हिमाचल प्रदेश का राज्य

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून। अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की पुनः मूल्यांकन पर, विशेष रूप से पी. डब्ल्यू. 11 और पी. डब्ल्यू. 22 के रूप में जांच किए गए डॉक्टरों के बयान पर, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है

पता चला कि पीड़ित का आई. क्यू. 62 था जो पीड़ित के इतिहास और मानसिक स्थिति की जांच पर आधारित था। बस।

क्योंकि पीड़ित कुछ घरेलू काम करने की स्थिति में थी, इसलिए वह चिकित्सा साक्ष्य को त्याग नहीं सकती कि पीड़ित को हल्की मानसिक मंदता थी और वह यौन हमले के अच्छे और बुरे पहलू को समझने की स्थिति में नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने पीड़ित की मानसिक बीमारी का लाभ उठाया था। इसकी सराहना इस तथ्य के साथ की जानी चाहिए कि आरोपी को पीड़ित द्वारा पैदा किए गए बच्चे का जैविक पिता पाया जाता है। उपरोक्त के बावजूद, उसके 313 बयान में आरोपी का मामला पूरी तरह से इनकार करने वाला था। यह कभी भी अभियुक्त का मामला नहीं था कि यह सहमति का मामला था। इस प्रकार, आरोपी झूठे बचाव के साथ आया। इसलिए, अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए, विशेष रूप से

पी. डब्ल्यू. 11 और पी. डब्ल्यू. 22 के बयान और यहां तक कि अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के बयान, उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि मामला आई. पी. सी. की धारा 375 के तहत आएगा और यह सही है।

आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया। यहां तक कि आई. पी. सी. की धारा 375 के खंड पांचवें के अनुसार, "एक पुरुष को बलात्कार करने के लिए कहा जाता है", अगर उसकी सहमति से, ऐसी सहमति देने के समय, मन की अस्वस्थता के कारण, उसकी प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

कि मानसिक स्थिति और आई. क्यू. चोटों और गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। एक व्यक्ति के आई. क्यू. को प्रश्नों, गतिविधियों और रोगी के इतिहास के आधार पर जाना जा सकता है। इसलिए, भले ही इसके संबंध में कुछ विरोधाभास हो सकते हैं पीड़ित द्वारा ज्ञात भाषा, उस मामले में भी, इसे पूरे चिकित्सा पर अविश्वास करने के लिए प्रमुख विरोधाभास नहीं कहा जा सकता है।

पीड़ित की मानसिक स्थिति पर साक्ष्य। इसलिए, उच्च न्यायालय ने बरी करने और [2020] 12 एस. सी. आर. को दोषी ठहराने के आदेश को उलट दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 376 और 506 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त। वर्तमान में एक पीड़ित पर यौन हमले का मामला है जिसका आई. क्यू. 62 था और वह मानसिक रूप से मंदबुद्धि था और आरोपी ने पीड़ित की मानसिक बीमारी/बीमारी का अनुचित लाभ उठाया है। मानसिक विकार या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति योग्य है। विशेष देखभाल, प्रेम और स्नेह। उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, आरोपी ने पीड़िता की मानसिक बीमारी/बीमारी का नुकसान उठाकर उसका शोषण किया है। इसलिए, अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पारस 12,13] [1017-ई-जी; 1018-बी-सी]

बाबू वी। केरल राज्य (2010) 9 एससीसी 189: [2010] 9

एस. सी. आर. 1039; कुलदिप सिंह बनाम। पुलिस आयुक्त

(1999) 2 एस. सी. सी. 10 [1998] 3 पूरक। एससीआर 594; विजय

मोहन सिंह बनाम। कर्नाटक राज्य (2019) 5 एससीसी 436

: [2019] 6 एससीआर 994-पर निर्भर।

कृष्ण बनाम। कर्नाटक राज्य (2014) 15 एससीसी 596

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2014) 15 एस. सी. सी. 596

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.3

[2010] 9 एससीआर 1039

उस पर भरोसा करें

पैरा

9.1

[1998] 3 पूरक। एससीआर 594

उस पर भरोसा करें

पैरा

9.3

[2019] 6 एससीआर 994

उस पर भरोसा करें

पैरा

9.4

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

1229 2017 से।

निर्णय और आदेश दिनांक 14.09.2016/आदेश से

2014 की आपराधिक अपील संख्या 36 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की तारीख 19.09.2016 की सजा की मात्रा।

सुश्री राधिका गौतम, सार्थक घोंक्रोक्टा, असलम, अधिवक्ता। के लिए

दिखाई देने वाली पार्टियाँ।

चमन लाल बनाम। हिमाचल प्रदेश का राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 14.09.2016/19.09.2016 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

हिमाचल प्रदेश, शिमला ने 2014 की आपराधिक अपील संख्या 36 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और आई. पी. सी. की धारा 376 और 506 के तहत अपराधों के लिए मूल अभियुक्त को बरी करते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दोषी ठहराया है-अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के लिए और उसे सात साल आर. आई. से गुजरने की सजा सुनाई है।

Rs.10,000/- और जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत छह महीने आर. आई. और 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ चार साल आर. आई. और जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर आई. पी. सी. की धारा 506 के तहत तीन महीने आर. आई., मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

कि अभियोजक के पिता ने आरोपी के खिलाफ इस आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज की कि 1.4.2008 पर, उसकी पत्नी धनेश्वरी देवी उन्हें शिमला में टेलीफोन पर सूचित किया गया कि उनकी बेटी (अभियोजक) गर्भवती है। यह आरोप लगाया गया था कि अभियोजक ने अपनी माँ को बताया कि जब

वह बकरियों और मवेशियों को चराने के लिए जंगल जाती थी, आरोपी मवेशियों और बकरियों को चराने के लिए भी जंगल जाते थे। अभियोजक ने उसकी माँ को बताया कि तीन-चार महीने पहले आरोपी ने जबरन और उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। कि अभियुक्त ने धमकी दी

अभियोजक 31 सप्ताह की गर्भावस्था ले रहा था। उसकी उम्र 19 वर्ष बताई गई थी। अभियोजक पर मानसिक रूप से विकलांग होने का आरोप लगाया गया था। आई. जी. एम. सी., शिमला के साथ-साथ पी. जी. आई. में उनकी चिकित्सकीय जांच की गई। चंडीगढ़। अभियोजक ने के. एन. एच., शिमला में 19.6.2008 पर एक लड़की को जन्म दिया। अभियोजक, बच्चे और आरोपी के रक्त के नमूने डीएनए परीक्षण के लिए लिए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी जैविक था

लड़की के पिता। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जाँच पूरा होने के बाद, जाँच अधिकारी ने आई. पी. सी. की धारा 376 और 506 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए उस पर उपरोक्त अपराधों के लिए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया।

2.1 अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने उसके माता-पिता सहित 23 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजक (पीडब्लू 1 और 2), अभियोजक (पीडब्लू 3), प्रयोगशाला तकनीशियन-जितेंद्र कुमार (पीडब्लू 8), डॉ. सरला चंद (पीडब्लू 9), डॉ. राकेश कुमार, रेडियोलॉजिस्ट (पीडब्लू 10), डॉ. रमेश कुमार, सहायक प्रोफेसर,

मनोचिकित्सा विभाग (पीडब्लू11), डॉ. जीव नंद चौहान (पीडब्लू12),

नंद सिंह, सीनियर लैब टेक्निशियन, के. एन. एच., शिमला (पीडब्लू13), डॉ. मोनिका शर्मा (पीडब्लू14), ए. एस. आई. तक्पा दोरजे (पीडब्लू17), एस. आई. सुंदर सिंह (पीडब्लू19), डॉ. रमा मल्होत्रा, पीजीआई, चंडीगढ़ (पीडब्लू22) और अन्य गवाह। कि अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य को बंद करने के बाद, धारा 313 Cr.P.C के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया था। उन्होंने पूरी तरह से निर्दोष होने का अनुरोध किया। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को मुख्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर और इस आधार पर भी बरी कर दिया कि अभियोजक परिणामों को समझने के लिए मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं था और क्या हो रहा था।

3. विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी और विवादित निर्णय और आदेश द्वारा और अभिलेख पर पूरे साक्ष्य, विशेष रूप से चिकित्सा साक्ष्य की पुनः सराहना करने पर, उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया और अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 और 506 के तहत अपराधों के लिए यह कहते हुए दोषी ठहराया कि अभियोजक यौन हमले के अच्छे और बुरे पहलू को समझने की स्थिति में नहीं था। अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करने पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजक का आई. क्यू. 62 था और वह हल्की मानसिक मंदता से ग्रस्त थी। 4. उपरोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5. सुश्री राधिका गौतम, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से पेश हुई हैं और श्री सार्थक घोंक्रोक्टा, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए हैं।

उत्तरदाता-राज्य। 5.1 अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री राधिका गौतम ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों में चमन लाल बनाम।

और मामले की परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलटने और बरी किए जाने के खिलाफ अपील में आरोपी को दोषी ठहराने में भौतिक रूप से गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा ठोस कारण दिए गए थे, जो अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर थे, और इसलिए बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा उनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी।

5.2 अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं: i) जब से अभियोजन पक्ष ने घटना होने का दावा किया था, तब से प्राथमिकी दर्ज करने में चार महीने की देरी हुई थी और इसलिए

विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को सही ढंग से बरी कर दिया;

(ii) अभियोजक (पीडब्लू1) के पिता ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलार्थी-अभियुक्त को मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था और उसने प्रस्ताव दिया था।

बच्चे की देखभाल करने के लिए लेकिन अभियोजक से शादी करने से इनकार कर दिया। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ़. आई. आर. केवल एक प्रतिशोधपूर्ण कार्य के रूप में दर्ज की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त अभियोजक से विवाह करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि अपीलार्थी विवाहित था और उसके अपने बच्चे थे;

iii) इस प्रकार प्राथमिकी दर्ज करने में घटना की तारीख से 8 महीने की देरी होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजक जब जांच करता है

आई. डी. 1 दिनांकित एफ. आई. आर. दर्ज करने के अगले दिन 8 महीने के भ्रूण को ले जाते हुए पाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि माता-पिता को अभियोजक की गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था;

(iv) इस प्रकार अभियोजक हल्के मानसिक मंदता से पीड़ित नहीं था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो

मनोचिकित्सकों ने एक अलग विवरण दिया कि अभियोजक किस भाषा को जानता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक कहता है कि वह 'हिंदी' जानती थी और दूसरा कहता है कि वह 'फरी' जानती थी और उसे दुभाषिया का उपयोग करना पड़ता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले में यह एक बड़ी विसंगति है जब एक डॉक्टर, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने मानसिक क्षमताओं के लिए उसका मूल्यांकन किया होगा और इसलिए उसने उससे कई सवाल पूछे होंगे जो वह हिंदी में बोलती थी और दूसरा डॉक्टर जो उससे भी बहुत सारे सवाल पूछने वाला था और उसे दुभाषिया का उपयोग करना पड़ा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि या तो दोनों या उनमें से कम से कम एक सही तथ्य नहीं बता रहा है; v) यहां तक कि अभियोजक के साथ-साथ अभियोजक की मां, बहन और पिता के बयान में भी भौतिक विरोधाभास हैं।

जैसे कि अभियोजक ने कहा कि उसे अपने [2020] 12 एस. सी. आर. के बारे में पता चला।

उसके परिवार के सदस्यों से गर्भावस्था जब उन्होंने उसे इसके बारे में बताया, जबकि माँ, बहन और पिता की गवाही से पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से अभियोजक था जिसने उसकी बहन को गर्भावस्था के बारे में सूचित किया था; vi) उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय मुख्य रूप से पीडब्लू 22 के चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा किया है कि अभियोजक के पास था

हल्का मानसिक मंदता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू 22 के बयान की तुलना परिवार के अन्य सदस्यों के बयान से की जाती है। जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही कहा गया है, अभियोजक एक सक्षम व्यक्ति था

उसके कल्याण को समझने के लिए और काफी बुद्धिमान।

5.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और कृष्ण बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना। कर्नाटक राज्य (2014) 15 एस. सी. सी. 596, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलटने में स्पष्ट रूप से गलती की है जो अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर आधारित था और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण था।

5.4 अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सात साल के कारावास में से, अभियुक्त पहले ही चार साल से गुजर चुका है और इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और इसके विकल्प के रूप में सजा को अभियुक्त द्वारा पहले से गुजारी गई अवधि तक कम किया जाए। 6. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को सही ढंग से उलट दिया है और आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 और 506 के तहत अपराधों के लिए सही तरीके से दोषी ठहराया है, विशेष रूप से जब अभियोजक मानसिक बीमारी से पीड़ित था और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार वह यौन हमले के अच्छे और बुरे पहलू को समझने की स्थिति में नहीं थी।

6.1 राज्य के विद्वान वकील ने निम्नलिखित किया हैः

प्रस्तुतियाँः

(i) प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में था कि वह अभिलेख पर दिए गए सभी साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करे और -

सही निष्कर्ष पर पहुँचें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है।

अभिलेख पर, विशेष रूप से चिकित्सा साक्ष्य; हामन लाल बनाम।

हिमाचल प्रदेश का राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

(ii) एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी के पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही विचार और विचार किया जा चुका है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार अभियुक्त ने अभियोजक की मानसिक स्थिति का अनुचित लाभ उठाया था और इसलिए भले ही कोई हो

भौतिक विरोधाभास, लाभ अभियुक्त को नहीं जाएगा और लाभ ऐसे पीड़ित के पक्ष में जाना चाहिए जो एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है और यौन हमले के अच्छे और बुरे पहलू को समझने की स्थिति में नहीं है; (ग) वर्तमान मामले में अभियुक्त के आचरण की भी सराहना की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि आरोपी ने यौन संबंध बनाए थे

अभियोजक के साथ और इस वजह से अभियोजक गर्भवती थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अभियुक्त अब इस बात पर विवाद नहीं कर रहा है कि बच्चा उसका नहीं है। उपरोक्त के बावजूद, उनके 313 Cr.P.C बयान में उनका मामला पूरी तरह से इनकार और निर्दोषता का था। और यह उसका मामला भी नहीं था कि अभियोजक एक सहमति देने वाला पक्षकार था और उसने अभियोजक की सहमति से यौन संबंध बनाए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार अभियुक्त अपने 313 में

बयान एक झूठे मामले के साथ सामने आया और सच नहीं बताया

तथ्य;

(iv) अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से निवेदन है कि

सात वर्ष आर. आई. के अभियुक्त ने चार वर्ष आर. आई. गुजारे हैं और इसलिए उसी पर अभियुक्त के पक्ष में विचार किया जा सकता है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 376 के तहत अपराध के लिए न्यूनतम सजा सात वर्ष है और वही है।

विशेष कारण बताकर ही इसे कम किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने पहले ही केवल सात साल के आर. आई. का आदेश देकर एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब यह मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति पर यौन हमले का मामला है और आरोपी ने पीड़ित की मानसिक स्थिति का नुकसान उठाया है, तो ऐसे मामलों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए और ऐसे आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए।

6.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि एन. टी. अपील को खारिज कर दिया जाए।

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

जीटीएच।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है

आई. पी. सी. की धारा 376 और 506 के तहत अपराध। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि

पीड़ित का आई. क्यू. बहुत कम था और वह मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और वह इसके अच्छे और बुरे पहलू को समझने की स्थिति में नहीं थी। यौन उत्पीड़न। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है और यह विवाद में नहीं है कि आरोपी ने पीड़ित के साथ यौन संबंध बनाए थे और पीड़ित ने एक बच्चे को जन्म दिया था और आरोपी को पीड़ित द्वारा पैदा किए गए बच्चे का जैविक पिता पाया गया है। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 313 के बयान में अभियुक्त का मामला पूरी तरह से इनकार करने का था। यह उनका मामला नहीं था कि यह सहमति का मामला था। इस प्रकार, आरोपी झूठे बचाव के साथ आया।

8. यह सच है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने पर अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 और 506 के तहत अपराधों के लिए दोषी पाया है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलट दिया है। यह अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से मामला है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराने और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को उलटने में गंभीर त्रुटि की है।

9. गुण-दोष पर अपील पर विचार करने से पहले, दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील पर कानून और धारा 378 Cr.P.C का दायरा और दायरा। बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर विचार किया जाना आवश्यक है।

9.1 बाबू बनाम के मामले में। केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 189), इस न्यायालय ने इसके खिलाफ एक अपील में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को दोहराया था।

धारा 378 Cr.P.C के तहत बरी किया जाना। पैराग्राफ 12 से 19 में, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

12. इस न्यायालय ने बार-बार उच्च न्यायालय के लिए निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। अपीलीय न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार नहीं करना चाहिए जहां दो विचार हैं-हमान लाल बनाम।

हिमाचल प्रदेश का राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

संभव है, हालांकि अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण अधिक संभावित हो सकता है। बरी किए जाने के फैसले पर विचार करते समय, अपीलीय अदालत को अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार करना होता है, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या निचली अदालत के विचार विकृत थे या अन्यथा अस्थिर थे। अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने पर, निचली अदालत स्वीकार्य साक्ष्य को ध्यान में रखने में विफल रही थी और/या कानून के विपरीत रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखा था। इसी तरह, सबूत का बोझ गलत तरीके से रखना भी एक विषय हो सकता है-अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच का विषय। (बालक राम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1975) 3 एस. सी. सी. 219, शंभू मिसिर बनाम। बिहार राज्य (1990) 4 एस. सी. सी. 17, शैलेंद्र प्रताप बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 761, नरेंद्र सिंह बनाम। एम. पी. राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 699, बुध सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 9 एस. सी. सी. 731, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। राम वीर सिंह (2007) 13 एस. सी. सी. 102, एस. राम कृष्ण बनाम। एस. रामी रेड्डी (2008) 5 एससीसी 535, अरुलवेलु बनाम। राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 206, पेरला सोमशेखर रेड्डी बनाम। एपी राज्य (2009) 16 एससीसी 98 और राम सिंह बनाम। एच. पी. राज्य (2010) 2 एस. सी. सी. 445)

13. शीओ स्वरूप बनाम। राजा सम्राट ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227, प्रिवी काउंसिल ने निम्नानुसार अवलोकन कियाः (आई. ए पी. 404)

" ..... उच्च न्यायालय को हमेशा उचित महत्व देना चाहिए और देगा और

ऐसे मामलों पर विचार करना जैसे (1) गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायाधीश के विचार; (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान, निश्चित रूप से नहीं

यह इस तथ्य से कमजोर हो गया कि उसे अपने मुकदमे में बरी कर दिया गया है; (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्ष को बाधित करने में एक अपीलीय अदालत की धीमी गति, जिसे गवाहों को देखने का लाभ मिला था।

14. इस न्यायालय द्वारा कानून के उपरोक्त सिद्धांत का लगातार पालन किया गया है। (तुलसीराम कानू वी. देखें। राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 1, बलबीर सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 216, एम. जी. अग्रवाल बनाम। महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200, खेडू मोहटन बनाम। बिहार राज्य (1970) 2 एस. सी. सी. 450, संबाशिवन बनाम। केरल राज्य (1998) 5 एससीसी 412, भगवान सिंह बनाम। एम. पी. राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 85 और गोवा राज्य बनाम। संजय ठकरन (2007) 3 एस. सी. सी. 755)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. चंद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस. सी. सी. 415, इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नानुसार दोहरायाः (एस. सी. सी पी. 432 , पैरा

42)

" (1) अपीलीय न्यायालय के पास उस साक्ष्य की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिसके आधार पर बरी करने का आदेश दिया जाता है। स्थापित किया गया।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति और अपीलीय के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है। न्यायालय अपने समक्ष साक्ष्य पर तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँच सकता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत'

'परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ', आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश 'भाषा के विकास' की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) हालाँकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोषता का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

16. घुरे लाल बनाम। यू. पी. राज्य (2008) 10 एस. सी. सी. 450, इस न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय

जिन मामलों में निचली अदालतों ने आरोपी को बरी कर दिया है, उनसे निपटने में यह ध्यान रखना चाहिए कि निचली अदालत का बरी होना इस धारणा को मजबूत करता है कि वह निर्दोष है। अपीलीय न्यायालय को मुकदमे के निर्णय को उचित महत्व देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए-हमान लाल बनाम।

हिमाचल प्रदेश का राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

निचली अदालत के रूप में अदालत को गवाहों के व्यवहार को देखने का विशिष्ट लाभ था, और गवाहों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में था। 17. राजस्थान राज्य में v. नरेश (2009) 9 एस. सी. सी. 368, न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों की फिर से जांच की और निर्धारित किया किः (एस. सी. सी पी. 374, पैरा 20)

" 20 ..... बरी किए जाने के आदेश में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अदालत का मानना हो कि आरोपी की ओर उंगली उठाने वाले कुछ सबूत हैं।

((iii) उच्च न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण साक्ष्य स्पष्ट रूप से अवैध था जिससे न्याय की गंभीर विफलता हुई;

((iv) उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित है जो गलत कानून और मामले के रिकॉर्ड पर तथ्यों पर आधारित है।

(v) इस न्यायालय को हमेशा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उचित महत्व और विचार देना चाहिए;

19. इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि अपवादात्मक मामलों में जहां बाध्यकारी हैं परिस्थितियों में, और अपील के तहत निर्णय विकृत पाया जाता है, अपीलीय अदालत के आदेश में हस्तक्षेप कर सकते हैं

दोषमुक्त। अपीलीय न्यायालय को अनुमान [2020] 12 एस. सी. आर. को ध्यान में रखना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त की निर्दोषता और आगे कि निचली अदालत की

एक नियमित तरीके से जहां दूसरा दृष्टिकोण संभव हो टाल दिया जाता है, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।

9.2 जब किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को माना जा सकता है -

उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 में विकृत होने पर विचार किया गया है और इस पर विचार किया गया है, जो नीचे दिया गया हैः

" 20. न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को माना जा सकता है -

प्रतिकूल यदि निष्कर्षों को अनदेखा करके प्राप्त किया गया है या

प्रासंगिक सामग्री को छोड़कर या ध्यान में रखते हुए अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री। निष्कर्ष यह भी कहा जा सकता है कि

यदि यह "साक्ष्य के भार के विरुद्ध" है, या यदि इतना अपमानजनक रूप से ढूँढना तर्क की अवहेलना करता है कि वह बुराई से पीड़ित है

अविवेकीपन। (राजिंदर कुमार किंड्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन (1984)

4 एस. सी. सी. 635, आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण अधिकारी

प्राधिकरण v. गोपी नाथ एंड संस 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 312, त्रिवेणी

रबड़ और प्लास्टिक बनाम। सी. सी. ई 1994 सप. (3) एससीसी 665, गया

दीन वी। हनुमान प्रसाद (2001) 1 एस. सी. सी. 501, अरुवेलु बनाम। राज्य

(2009) 10 एस. सी. सी. 206 और गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम। राज्य

ए. पी. (2009) 10 एस. सी. सी. 636)। "

(जोर दिया गया)

9.3 यह आगे इस न्यायालय के निर्णय का पालन करने के बाद देखा जाता है।

कुलदिप सिंह बनाम के मामले में। पुलिस आयुक्त (1999) 2 एस. सी. सी. 10 ने कहा कि यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर लिया जाता है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड में कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

9.4 विजय मोहन सिंह बनाम के हालिया निर्णय में। की स्थिति

कर्नाटक, (2019) 5 एस. सी. सी. 436, इस न्यायालय को फिर से धारा 378 Cr.P.C के दायरे और बरी होने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर विचार करने का अवसर मिला। इस न्यायालय ने 1952 के बाद से इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया। पैराग्राफ 31 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 31. इस न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। उमेदभाई जादवभाई (1978) 1 एस. सी. सी. 228 में। हमान लाल बनाम से पहले के मामले में।

हिमाचल प्रदेश का राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

इस न्यायालय, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः समीक्षा पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप किया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पलटते हुए

बरी किए जाने पर, अभियुक्त को बरी करते समय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी पी. 233)

" 10. एक बार जब बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने का अधिकार था। आम तौर पर, उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश की राय को उचित महत्व देगा यदि साक्ष्य की उचित समीक्षा के बाद उन पर निर्णय लिया जाता है। यह नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही भौतिक और निर्णायक पहलू की बिल्कुल गलत धारणा बनाई है।

31.1 . सम्बाशिवन बनाम। केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412, उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया और अभियुक्त को अभिलेख पर पूरे साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर दोषी ठहराया, हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलटने पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, यह संतुष्ट होने के बाद कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने का आदेश विकृत था और दुर्बलता से पीड़ित था, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 416)

दोशी वी। गुजरात राज्य (1996) 9 एस. सी. सी. 225। सबसे पहले इस सवाल पर अपना निष्कर्ष दर्ज करना कि क्या साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट था

अवैध या इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे, [2020] 12 एस. सी. आर.

जो अकेले बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप को उचित ठहराएगा यद्यपि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष उठाई गई सभी दलीलों को विधिवत पूरा करते हुए एक सुविचारित निर्णय दिया है। लेकिन फिर क्या यह गैर-अनुपालन स्वयं निर्णय को दरकिनार करने को उचित ठहराएगा?

अपील के तहत? हम सोचते हैं, नहीं। हमारे विचार में, ऐसे मामले में, अदालत का दृष्टिकोण जो एक अपीलीय अदालत के फैसले की वैधता पर विचार कर रहा है जिसने आदेश को उलट दिया है

विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त होने का निर्णय स्वयं को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए यदि साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचा गया था

यह स्पष्ट रूप से अस्थिर है और क्या अपीलीय न्यायालय का निर्णय उन दुर्बलताओं से मुक्त है; यदि ऐसा है तो यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसे मामले में, स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं है कि अपीलीय अदालत के फैसले को बाधित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी ओर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि निचली अदालत का फैसला किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, तो यह अभिनिर्धारित किए बिना नहीं रखा जा सकता है कि बरी करने के आदेश में अपीलीय अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं था; तो ऐसे मामले में अपीलीय अदालत के फैसले को दो उचित विचारों के रूप में अलग रखा जाना चाहिए, केवल बरी करने के समर्थन में एक ही खड़ा होना चाहिए। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम आगे बढ़ेंगे

इस मामले में निचली अदालत के फैसले की जांच करें।

31.2 . के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम। केरल राज्य (1999) 3 एस. सी. सी. 309, यह देखने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की शिकायत में कुछ सार है कि उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश के अनुसार विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए सभी कारणों को स्वीकार नहीं किया है, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को यह पाए जाने के बाद खारिज करने से इनकार कर दिया कि बरी करने का आदेश दर्ज करने में सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण उचित नहीं था और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा कई पहलुओं पर निकाला गया निष्कर्ष अस्थिर था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि सत्र न्यायाधीश अभियुक्त को बरी करते समय प्रासंगिक/भौतिक साक्ष्य को खारिज करने में उचित नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय को साक्ष्य की पुनः सराहना करने और अपना निष्कर्ष दर्ज करने का पूरी तरह से अधिकार था। इस न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की जांच की और यह राय दी कि मुकदमे द्वारा प्रस्तुत कारण HAMAN LAL v.

हिमाचल प्रदेश का राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

किसी भी ध्वनि में। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत था और इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करे।

31.3 . एटली वी। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807, पैरा 5 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः (एयर पीपी। 809-10)

" 5. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का फैसला बरी करने वाला होने के कारण, उच्च न्यायालय को इसे केवल प्रशंसा पर दरकिनार नहीं करना चाहिए था।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यह उच्च न्यायालय के लिए पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए, निश्चित रूप से, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर खुला है। इस सुस्थापित नियम को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा कमजोर नहीं है, बल्कि इसके द्वारा मजबूत की गई है

विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने का निर्णय जिसे गवाहों के आचरण को देखने का लाभ था जिनके

उसकी उपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किए गए हैं।

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील की अदालत के पास व्यापक शक्तियां हैं

दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में साक्ष्य की प्रशंसा, जैसा कि दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, सवारों के अधीन रहते हुए कि जिस निर्दोषता का अनुमान अभियुक्त व्यक्ति के साथ विचारण न्यायालय में शुरू होता है, वह अपीलीय चरण तक भी जारी रहता है और यह कि अपीलीय न्यायालय को उस विचारण न्यायालय की राय को उचित महत्व देना चाहिए जिसने दोषमुक्ति का आदेश दर्ज किया था।

यदि अपीलीय न्यायालय साक्ष्य की समीक्षा करता है, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, और एक विपरीत निष्कर्ष पर आते हुए, निर्णय को दूषित नहीं कहा जा सकता है। (इस संबंध में बार में उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात् सूरजपाल सिंह बनाम। राज्य ए. आई. आर 1952 एस. सी. 52; विलायत खान बनाम। उत्तर प्रदेश का राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 122)

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारी राय में, उठाए गए विवाद में कोई सार नहीं है

अपीलार्थी की ओर से कि उच्च न्यायालय में न्यायोचित नहीं था

पूरे साक्ष्य की समीक्षा करना और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना।

31.4 . के. गोपाल रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 355,

इस न्यायालय ने कहा है कि जहां निचली अदालत खुद को अनुमति देती है काल्पनिक संदेहों से घिरा हुआ होना, इसके लिए विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार करना

संकीर्ण कारण और साक्ष्य का एक दृष्टिकोण लेता है जो है लेकिन

मुश्किल से संभव है, हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है

न्याय के हित में, ऐसा न हो कि न्याय प्रशासन लाया जाए

उपहास करने के लिए "।

(जोर दिया गया)

10. विवादित निर्णय और पारित आदेश से गुजरने के बाद

उच्च न्यायालय द्वारा और बरी करने का निर्णय और आदेश भी पारित किया गया

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा, हमारी दृढ़ राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय उचित है और इस प्रकार, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलटने और अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 और 506 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है। पहला अपीलीय न्यायालय होने के नाते और जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य और तर्क की पुनः सराहना करना उचित ठहराया।

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मापदंडों के भीतर काम किया है।

11. जहाँ तक अपील की योग्यता का संबंध है, पुनः प्रशंसा पर

अभिलेख पर सम्पूर्ण साक्ष्य का, विशेष रूप से

डॉक्टरों ने पी. डब्ल्यू. 11-डॉ. रमेश कुमार और पी. डब्ल्यू. 22-डॉ. रामा मल्होत्रा के रूप में जाँच की, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से पाया है कि पीड़ित का आई. क्यू. 62 था जो पीड़ित के इतिहास और मानसिक स्थिति की जाँच पर आधारित था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि पीड़ित अच्छे और बुरे को समझने की स्थिति में नहीं था यौन हमले का पहलू। केवल इसलिए कि पीड़ित कुछ घरेलू

काम करने की स्थिति में थी, चिकित्सा साक्ष्य को खारिज नहीं कर सकती है कि पीड़ित को हल्की मानसिक मंदता थी और वह यौन हमले के अच्छे और बुरे पहलू को समझने की स्थिति में नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने पीड़ित की मानसिक बीमारी का लाभ उठाया था। इसकी सराहना इस तथ्य के साथ की जानी चाहिए कि आरोपी को पीड़ित द्वारा पैदा किए गए बच्चे का जैविक पिता पाया जाता है।

उपरोक्त के बावजूद, उसके 313 बयान में आरोपी का मामला पूरी तरह से इनकार करने वाला था। यह कभी भी अभियुक्त का मामला नहीं था कि यह सहमति का मामला था। इसलिए, अभिलेख पर साक्ष्य, विशेष रूप से पीडब्लू11 और पीडब्लू22 के बयान और यहां तक कि अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के बयान पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा है कि मामला आईपीसी की धारा 375 के तहत आएगा और आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आरोपी को सही तरीके से दोषी ठहराया है। खंड पाँच के अनुसार भी

आई. पी. सी. की धारा 375, "एक पुरुष को बलात्कार करने के लिए कहा जाता है", यदि उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देने के समय, मन की अस्वस्थता के कारण, वह उस प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है जिसके लिए वह सहमति देती है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, यह भी नहीं है

अभियुक्त की ओर से मामला कि यह सहमति का मामला था। साक्ष्य पर, यह स्थापित और साबित किया गया है कि पीड़ित मानसिक रूप से मंदबुद्धि थी और उसका आई. क्यू. 62 था और वह यौन हमले के अच्छे और बुरे पहलू को समझने की स्थिति में नहीं थी। अभियुक्त ने पीड़ित की मानसिक बीमारी और निम्न आई. क्यू. का नुकसान उठाया है।

12. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि पीडब्लू11 के बयान में विरोधाभास हैं-डॉ. रमेश कुमार

और पीडब्लू 22-डॉ. रमा मल्होत्रा ने कहा कि वह 'हिंदी' नहीं जानती थी और वह केवल 'फरी' जानती थी और इसलिए इस तरह के विचारों को ध्यान में रखते हुए

विरोधाभासों के संबंध में संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए, उपरोक्त पहलू को पीडब्लू 22 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में समझाया गया है। क्रॉस-एग्जामिनेशन में, पीडब्लू 22-डॉ. रामा मल्होत्रा ने विशेष रूप से कहा है कि भाषा परीक्षणों में सामग्री नहीं है क्योंकि ये भाषा से स्वतंत्र हैं। चिकित्सा साक्ष्य से यह पता चलता है कि आई. क्यू. 62 'हल्के मानसिक मंदता' की श्रेणी में आता है। यह भी सामने आया है कि मानसिक स्थिति और आई. क्यू. चोटों और गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। एक व्यक्ति के आई. क्यू. को प्रश्नों, गतिविधियों और रोगी के इतिहास के आधार पर जाना जा सकता है। इसलिए, भले ही पीड़ित द्वारा ज्ञात भाषा के संबंध में कुछ विरोधाभास हो सकते हैं, उस मामले में भी, पीड़ित की मानसिक स्थिति पर पूरे चिकित्सा साक्ष्य पर अविश्वास करना प्रमुख विरोधाभास नहीं कहा जा सकता है।

13. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन किया गया है कि वह पहले ही सात वर्षों में से चार वर्षों से गुजर चुका है वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं और इसलिए एक उदार दृष्टिकोण

यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय ने भी सात साल की न्यूनतम सजा आर. आई. लागू करके बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाया है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह एक पीड़ित पर यौन हमले का मामला है जिसका आई. क्यू. 62 था और वह मानसिक रूप से विकलांग था और आरोपी ने पीड़ित की मानसिक बीमारी/बीमारी का अनुचित लाभ उठाया है। मानसिक विकार या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति विशेष देखभाल, प्रेम और स्नेह का हकदार है। उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, आरोपी ने पीड़ित का शोषण किया है

उसकी मानसिक बीमारी/बीमारी का नुकसान उठाना। इसलिए, अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार है।

बर्खास्त कर दिया।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे